

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-गा भर्ती परीक्षा 2022 अन्तर्गत श्रीमान निदेशक मा.शि.राज. बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-1/ 12102(202)/सी.भ./पुस्तकालयाध्यक्षग्रेड-गा/2021-22/ दिनांक 18.06.2023 द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं शर्तों के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-गा भर्ती परीक्षा अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिवास्तावित अभ्यर्थियों में से सिरोही जिले को आवंटित (गैर अनुसूचित क्षेत्र) संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-गा पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में **02 वर्ष** के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 12 (6) एफ.डी.नियम/05 दिनांक 13-03-2006 एवं एफ.15(1)एफडी/ रूल्स/2017/ जयपुर दि. 30-10-2017 के रूल्स 16 शेड्यूल IV के प्रावधानानुसार वेतन लेवल-10 में **नियत मानदेय रु. 23700/-**(अक्षरे तेर्झस हजार सात सौ रुपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतिया की जाएगी।

सम्बंधित संस्था प्रधान को इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें। सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरित टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे। जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.7(1)डीओपी /ए-गा/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन संबंधी प्रावधान लागु होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/-के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

.....2 /

Signature valid

Digitally signed by Ganga Kalawant
Designation: District Education Officer
Date: 2023.06.23 18:15:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4127610



4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7(3)कार्मिक / क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लेने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
6. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जा रही है। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए, एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो, की जांच उपरान्त ही कार्यग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागु नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवावे।
9. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार प्रमाण पत्र जो विवाह के पश्चात का बना हुआ है प्रस्तुत करे, तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाए।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर में यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7(3)कार्मिक / क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **14-07-2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्यत होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्ययधीन रहेगी।

(गंगा कलावन्त)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

Signature valid

Digitally signed by Ganga Kalawant
Designation: District Education Officer
Date: 2023.06.23 18:15:45 IST
Reason: Approved



क्रमांक: जिशिअ / मा / सि / स्थापन-2 / 2023 / 187

दिनांक 23-06-2023

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, पाली
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
6. सम्बंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/ बालिका.....
7. सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

RajKaj Ref No. : 4127610

Signature valid

Digitally signed by Ganga Kalawant
Designation: District Education Officer
Date: 2023.06.23 18:15:45 IST
Reason: Approved



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

क्रमांक:-जिशिअ / मा / सि / संस्था-२ / २०२३ / १८७

दिनांक 23.06.2023

पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-गा गैर-अनुसूचित क्षेत्र (नॉनटीएसपी)

S. NO.	R.NO.	MERI T NO.	NAME	F.NAME	DOB	SEL _CAT	OWN _CAT	H_ CA T	gend er	Alloted Posting Place	Block	District	Photo
1	609272	161	MAHENDRA SINGH	BHAGWAN SINGH	16-Oct-93	GEN-EWS	GEN-EWS	-	Male	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KRISHNAGANJ (213952)(0819 0308204)	SIROHI	SIROHI	

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

Signature valid

Digitally signed by Ganga Kalawant

Designation: District Education Officer

Date: 2023.06.23 18:15:45 IST

Reason: Approved

